टिप्पणी

20

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त

भारत के संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन मिलता हैं। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के संस्थापक जानते थे कि स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद देश और समाज में गरीबी, और भुखमरी गहरी जड़े जमा चुकी थीं तथा सामाजिक आर्थिक असमानता व्याप्त थी। संविधान निर्माताओं को महसूस हुआ कि इन समस्याओं से जूझने के लिए देश का शासन चलाने हेतु कुछ विशेष नीति-निर्देशों, दिशा निर्देशों और अनुदेशों की आवश्यकता होगी। स्वतंत्र भारत की विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से अपेक्षा की गई थी कि वह संविधान के इस भाग में दिए गए दिशा निर्देशों और अनुदेशों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर देश का शासन प्रशासन चलायेगें।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप-

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का अर्थ एवं स्वरूप समझ सकेंगे;
- नीति निदेशक सिद्धान्तों के दार्शनिक आधार की व्याख्या कर सकेंगे;
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्गीकरण कर सकेंगे;
- भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में नीति निदेशक सिद्धान्तों की भूमिका के महत्व को समझ पाएंगे;
- सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में नीति निदेशक सिद्धान्तों के महत्व को समझ सकेंगे;
- मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धान्तों में अन्तर कर पाएंगे; तथा
- नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने में सरकार की भूमिका का आंकलन कर सकेंगे।

20.1 राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तः अर्थ और प्रकृति

नीति निदेशक सिद्धान्त ऐसे आदर्श हैं जो विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय का उद्देश्य रखते हैं और संविधान निर्माताओं के अनुसार भारत राज्य को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

डा. भीम राव अम्बेडकर ने नीति निदेशक सिद्धान्तों को संविधान की एक अनूठी विशेषता बताया। वे राज्य के लिए साधारण दिशा निर्देश, अनुदेश अथवा मार्ग दर्शक सिद्धान्त हैं। नीति निदेशक सिद्धान्त लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं तथा केन्द्र व राज्य की सरकारों को कानून और नीतियाँ निर्मित करते समय इनको ध्यान में रखना चाहिए।

लक्ष्मीमल सिंघवी के अनुसार नीति निदेशक सिद्धान्त संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं। वे भारत के संविधान में शामिल सामाजिक न्याय के दर्शन को दर्शाते हैं। यद्यपि नीति निदेशक सिद्धान्त न्याय संगत नहीं है अर्थात वे अदालत द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं परन्तु फिर भी वे देश के शासन के लिए मौलिक हैं। वे विधायिका, कार्यपालिका और भारत के प्रशासकों के लिए इन आदर्शों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करते हैं।

20.2 नीति निदेशक सिद्धान्तों का दार्शनिक आधार

भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्तों को आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। इन सिद्धान्तों के विचार और दर्शन को आप फ्रांस की मानव अधिकारो, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा, 19वीं सदी के उदारवादी तथा सामाजिक दर्शन तथा अपने गांधीवादी सर्वोदय के सिद्धान्तों में भी खोज सकते हैं।

आइवर जेन्निंग का कहना है कि अधिकांश नीति निदेशक सिद्धान्तों में अन्तर्निहित दर्शन फैबियन समाजवाद है। हमारे अनेक संविधान निर्माता समाजवाद और गांधीवाद के प्रभाव में थे। अतः इन प्रावधानों एवं सिद्धान्तों के माध्यम से उन्होंने समाजवादी ढांचे तथा गांधीवादी आदर्श राज्य के सिद्धान्त की नींव रखी जिसको पाने के लिए भारतीय राज्य को प्रयास करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 37 इन नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने की बात करता है, जिसके अनुसार भाग IV में शामिल प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकेंगे परन्तु वे किसी भी रूप में देश के शासन के लिए मौलिक या आधारभूत सिद्धान्तों से कम नहीं हैं तथा राज्य का यह कर्त्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धान्तों को लागू करे।

? क्या आप जानते हैं

- भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त सम्मिलित हैं

- भारत के संविधान में निहित नीति निदेशक सिद्धान्त आयरलैण्ड संविधान से लिए गए हैं। आयरलैण्ड ने स्वयं ये सिद्धान्त स्पेन के संविधान से लिए थे।
- ऐसे ही दिशा निर्देश भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुदेशों के रूप में दिए गए थे।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना तथा उदार व्यक्तिवादी एवं समाजवादी विचारधारा के बीच संतुलन स्थापित करना है।

पाठगत प्रश्न 20.1

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

(i) नीति निदेशक सिद्धान्त भारत को ..... राज्य बनाते हैं।
(कल्याणकारी/समाजवादी)

(ii) नीति निदेशक सिद्धान्त ..... हैं। (न्याय संगत नहीं/न्याय संगत)

(iii) ..... के विचारों और चिन्तन को भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्तों के रूप में शामिल किया गया है। (सी राजगोपालाचारी/महात्मा गाँधी)

(iv) समाज का समाजवादी ढांचा संसाधनों के..... वितरण से प्राप्त किया जा सकता है। (असमान/न्यायपूर्ण)

(v) भारत से ..... व्यवस्था को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
(जाति/पूंजीवादी/जमींदारी)

20.3 राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्गीकरण

नीति निदेशक सिद्धान्तों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उनके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने हेतु हम मोटे तौर पर उन्हें चार वर्गों में बांट सकते हैं। ये हैं-

1. आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त
2. गांधी जी के विचारों पर आधारित सिद्धान्त
3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त
4. अन्य विविध सिद्धान्त

1. आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त

नीति निदेशक सिद्धान्तों में बड़ी संख्या में समाजवादी प्रकृति के सिद्धान्त हैं जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लोगों के सामाजिक

और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। इनमें से कुछ सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:-

(i) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में परिलक्षित हो।

(ii) अनुच्छेद-39 में प्रावधान है कि राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीतियों को निम्नलिखित को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगा:

(क) सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना।

(ख) भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियन्त्रण को सबकी भलाई के लिए व्यवस्थित करना।

(ग) आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करे कि सम्पति कुछ हाथों में संकेन्द्रित न हो जाए।

(घ) पुरूष और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन निश्चित करना।

(ड़) सभी कामगारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति की रक्षा करना।

(च) बचपन और युवाशक्ति को शोषण से बचाना।

(iii) अनुच्छेद-42 उद्घोषित करता है कि राज्य कार्य के लिए स्वच्छ वातावरण और प्रसूति सेवा की व्यवस्था करेगा।

(iv) अनुच्छेद-43 के अनुसार राज्य सभी श्रमिकों के लिए आजीविका एवं रहने का अच्छा स्तर प्रदान करने का प्रयास करेगा जबकि अनुच्छेद 43A कहता है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे श्रमिकों की उद्योगों के प्रबन्धन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

2. गांधीवादी सिद्धान्तों पर आधारित नीति निदेशक सिद्धान्त

हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक नेता और मार्गदशक के रूप में मुख्य शक्ति थे। उनका जन साधारण तथा संविधान निर्माताओं पर बहुत गहरा प्रभाव था। संविधान में कुछ नीति निदेशक सिद्धान्त गांधी जी के दर्शन व विचारों से प्रेरित होकर शामिल किये गये। जोकि निम्न प्रकार से हैं।

(i) राज्य, स्थानीय शासन की इकाई के रूप में पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएंगे। (अनुच्छेद-40)

(ii) राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी स्तर पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे (अनुच्छेद-43)

(iii) अनुच्छेद 45 चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। इस प्रावधान को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में संशोधित किया गया और अब यह कहता है कि राज्य शिशु की देखभाल तथा 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद-21-क)

(iv) अनुच्छेद 46 निश्चित करता है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा; विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा करेगा।

(v) अनुच्छेद 47 में व्यवस्था है की गयी है कि राज्य जन स्वास्थ्य को सुधारने तथा मादक द्रव्यों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ड्रग्स के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कदम उठाएगा।

(vi) अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कदम उठाएगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित नीति निदेशक सिद्धान्त

विश्व युद्ध की समाप्ति के एक वर्ष बाद भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह स्पष्ट है कि हमारी संविधान सभा के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के प्रति चिन्तित थे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि स्वतंत्र भारत की सरकार विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए सक्रिय योगदान देगी। अनुच्छेद 51 उद्घोषित करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राज्य–

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा,

(ii) अन्य देशों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक सम्बन्ध बनाएगा,

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धि के दायित्वों का आदर करेगा,

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने को प्रोत्साहन देगा।

4. विविध नीति निदेशक सिद्धान्त

नीति निदेशक सिद्धान्तों के चौथे वर्ग में कुछ सामान्य विषय हैं जिन्हें कभी-कभी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धान्त भी कहते हैं। ये सिद्धान्त इस प्रकार से हैं–

(i) अनुच्छेद 44: राज्य पूरे भारत क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।

(ii) अनुच्छेद 48A: राज्य को पर्यावरण सुधारने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निर्देश देता है।

(iii) अनुच्छेद 49: राज्य प्रत्येक स्मारक एवं ऐतिहासिक या कलात्मक स्थान की रक्षा करेगा।

(iv) अनुच्छेद 50: राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अगल रखने हेतु कदम उठाएगा।

? क्या आप जानते हैं

- 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग IV में कुछ नए सिद्धान्त जोड़ कर नीति निदेशक सिद्धान्त में परिवर्तन किए हैं। जैसे:
  - (i) अनुच्छेद-39A – राज्य गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा
  - (ii) अनुच्छेद-43A – उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की सहभागिता
  - (iii) अनुच्छेद-48A – राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने के निर्देश देता है।

- 1978 में किए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 के खण्ड 2 में जोड़ा गया कि "राज्य आय में असमानता को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रयास करेगा तथा हैसियत, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को न केवल व्यक्तियों अपितु समूहों के बीच भी समाप्त करने के प्रयास करेगा।
- 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस अधिकार को नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने की राह में बाधा समझा जाता था।

पाठगत प्रश्न 20.2

प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिये।

1. भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को किस देश के संविधान से लिया गया?
   (i) ब्रिटेन
   (ii) जर्मनी
   (iii) फ्रांस
   (iv) आयरलैण्ड
2. निम्नलिखित में से कौन 'पंचायती राज' व्यवस्था का सबसे बड़ा पक्षधर था?
   (i) पं. जवाहर लाल नेहरू
   (ii) महात्मा गांधी
   (iii) सरदार पटेल
   (iv) डा. बी. आर. अम्बेडकर
3. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त भारत को निम्नलिखित में क्या बनाने का प्रयास करते हैं?
   (i) कल्याणकारी राज्य
   (ii) पूंजीवादी राज्य
   (iii) वामपंथी राज्य
   (iv) सर्वसत्तात्मक राज्य
4. निम्नलिखित में से किस में पुरूषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है?
   (i) मौलिक अधिकार
   (ii) संविधान की प्रस्तावना

(iii) राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त

(iv) मौलिक कर्त्तव्य

5. संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित करने का निर्देश देता है?

(i) अनुच्छेद 40

(ii) अनुच्छेद 45

(iii) अनुच्छेद 37

(iv) अनुच्छेद 36.

20.5 मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में अन्तर

मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त दोनों ही संविधान की अनिवार्य विशेषताएं हैं। लेकिन लम्बे समय तक दोनों के बीच विवाद बना रहा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर कई प्रतिबन्ध लगाने पड़े। उनके अलग और कभी-कभी परस्पर विरोधी उद्देश्य होते थे और विवाद का यही मुख्य कारण था। नीति निदेशक सिद्धान्त निम्नलिखित प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं।

(i) मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं जबकि नीति निदेशक सिद्धान्त न्याय संगत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता तो वह न्यायालय में अपील कर सकता है परन्तु नीति निदेशक सिद्धान्तों के उल्लंघन या सरकार उन्हें लागू न करे तो भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

(ii) मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है क्योंकि वे राज्य पर पाबन्दियां लगाते हैं। इसके विपरीत नीति निदेशक सिद्धान्त सकारात्मक हैं। वे कुछ निश्चित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना राज्य का कर्त्तव्य घोषित करते हैं तथा राज्य को उस दिशा में कार्य करने के लिय प्रेरित करते हैं।

(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं और विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

20.6 नीति निदेशक सिद्धान्तों और मौलिक अधिकारों में सम्बन्ध

संविधान के लागू होने के बाद से तीन दशकों तक एक लम्बा विवाद चलता रहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धान्तों के बीच टकराव होने की स्थिति में दोनों संवैधानिक प्रावधानों में से किस को प्राथमिकता दी जाएगी? भूमि सुधार, बैंक राष्ट्रीयकरण और सरकार के अनेक ऐसे कदमों को अदालतों में इस आधार पर चुनौती दी गई कि वे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते थे। सबसे बड़ी अड़चन अनुच्छेद

31, सम्पति का अधिकार था, जो नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। कुछ समय तक न्यायालय के विराधाभासी निर्णयों तथा सत्ताधारी वर्ग की मजबूरियों ने मामले को उलझा दिया। 1976 में गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि नीति निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। शंकरी प्रसाद वाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपने ही निर्णय के विरूद्ध था। 1973 में केशवानन्द भारती वाद में इसने 1967 के गोलक नाथ केस के निर्णय को पलट दिया और घोषित किया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है परन्तु यह इसके बुनियादी या मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पति के अधिकार को हटा दिया गया और इस कदम से संसद ने नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने की राह की मुख्य बाधा को दूर कर दिया। 1980 में मिनर्वा केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः इस बात पर बल दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है परन्तु संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती या उसमें संशोधन नहीं कर सकती। यद्यपि संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकार परस्पर विरोधी नहीं है परन्तु वे अलग दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच टकराव हो सकता है; विशेष रूप से जब नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं तो इन प्रयासों से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन्हें सीमित किया जाता है।

लेकिन इन अन्तरों के बावजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के बीच एक निकट सम्बन्ध है। वे एक दूसरे के पूरक और सम्पूरक हैं और संविधान की प्रस्तावना में घोषित लक्ष्यों और आदर्शों को मूर्तरूप देने के लिए दोनों की जरूरत है। मौलिक अधिकार भारत को राजनीतिक लोकतन्त्र बनाते हैं लेकिन इस राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करना अनिवार्य है जिनके कारण सामाजिक और आर्थक लोकतन्त्र का उदय होगा अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति है लेकिन नीति सिद्धान्तों के साथ जनमत की स्वीकृति और सहमति है। वे देश के शासन के लिए मौलिक हैं और इसलिए कोई लोकतान्त्रिक सरकार उनकी अवहेलना नहीं कर सकती।

पाठ्गत प्रश्न 20.3

निम्नलिखित कथनों के सामने 'सत्य' अथवा 'असत्य' लिखिए

(i) मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं।

(ii) लोग, नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू न किए जाने पर न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

(iii) नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय है।

(iv) सम्पति का अधिकार मौलिक अधिकार है।

(v) संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।

20.7 राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का क्रियान्वयन

कभी-कभी नीति निदेशक सिद्धान्तों की इसलिए आलोचना की जाती है कि वे न्याय संगत नहीं है, बेकार तथा नैतिक धारणाएं है, जिनको क्रियान्वित करना पूरी तरह से सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। लेकिन गत 60 वर्षों से संविधान की कार्य प्रणाली दर्शाती है कि भारत में बारी-बारी से आने वाली सभी सरकारों ने इनको लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा किये गये प्रयास इस प्रकार हैं-

(i) अनुच्छेद 39 को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा आम आदमी की भलाई के उद्देश्य से भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियन्त्रण हेतु विभिन्न कानून बनाए गए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

(a) भूमि सुधार: भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि सबसे अनिवार्य भौतिक संसाधन है। भूमि सुधारों के माध्यम से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, भूमि रखने की सीमा तय की गई तथा अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन मजदूरों में वितरित किया गया।

(b) न्यूनतम वेतन अधिनियम: ऊंची आय वाले समूह से आयकर एवं अन्य करों के माध्यम से टैक्स वसूलने तथा कमजोर वर्गों को टैक्स माफी एवं राहत देने के उपाय किए गए।

(ii) 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने अनुच्छेद 40 में उल्लिखित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया और लगभग देश के सभी भागों में गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

चित्र 20.1: ग्राम पंचायत सभा

(iii) अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए हैं जैसे ग्रामीण उद्योग बोर्ड, आल इन्डिया हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड (अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड); सिल्क बोर्ड, कोयर बोर्ड इत्यादि जो कुटीर उद्योगों की वित्तीय एवं विपणन में आवश्यक सहायता करते हैं।

(iv) सरकार ने अनुच्छेद 45 में उल्लिखित नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों को लागू किया है। 86वें संविधान संशोधन और उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पास होने से प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है।

चित्र 20.2: विद्यालय जाते बच्चे

(v) सरकार ने विभिन्न विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978–79) और गत वर्षों में महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 को संविधान के अनुच्छेद 47 की भावना के अनुरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के जीवन स्तर को उठाने के लिए लागू किया गया।

(vi) सरकार ने महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण में सहयोग देने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे प्रसूति सेवा और स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन (मिड डे मील) योजना।

(viii) केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमन्त्री ग्राम स्वास्थ्य योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं को प्रायोजित किया तथा स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित अन्य अनेक कार्यक्रमों को भारत राज्य के सामाजिक क्षेत्र के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए लागू किया जा रहा है। नि:सन्देह इन सभी कल्याणकारी उपायों के पीछे मुख्य मार्गदर्शक ताकत नीति निदेशक सिद्धान्त ही हैं।

संविधान की कार्यप्रणाली तथा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति का अध्ययन करने के बाद हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय नीति निदेशक सिद्धान्तों को हमेशा उपयुक्त महत्व और प्राथमिकता दी गई है। कुछ

सिद्धान्तों को अक्षरश: लागू किया गया है और कुछ में कर बदलाव उन्हे लागू किया गया है। हालांकि अभी भी विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी कमियां है। एक लोकतान्त्रिक देश होने के नाते भारत इसे नजरंदाज नहीं कर सकता। अत: आधारभूत स्वास्थ्य और शिक्षा का तीव्र आधुनिकीकरण और विस्तार सरकार का तुरन्त ध्यान आकर्षित करता है। संविधान अपेक्षा करता है कि समाज के सभी वर्गों को काम का अधिकार, आजीविका के पर्याप्त साधन तथा सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। इसलिए भारतीय संविधान के संस्थापकों द्वारा निश्चित किए आदर्शों को अनुभूत करने या मूर्त रूप देने के लिए इस दिशा में सरकार को अभी बहुत कुछ करना है।

पाठगत प्रश्न 20.4

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

(i) 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ..... पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। (द्विस्तरीय/त्रिस्तरीय)

(ii) संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष ..... में पारित किया। (2006/2009)

(iii) शिक्षा का अधिकार अधिनियम ..... से ..... वर्ष तक के बच्चों के लिए है। (0 से 6/6 से 14)

(iv) संविधान का 86वां संशोधान वर्ष ..... में किया गया। (2009/2002)

आपने क्या सीखा

भारत के संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त दर्ज हैं। ये सिद्धान्त सरकार के लिए सूचनाओं और मार्गदर्शक निर्देशों के रूप में हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत में राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धान्तों से मार्ग दर्शन प्राप्त करे। ये सिद्धान्त न्याय संगत नहीं है अर्थात इन्हें किसी न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता लेकिन इनके पीछे जनमत और नैतिक ताकत है।

वैचारिक स्त्रोतों और उद्देश्यों के आधार पर इनको निम्नलिखित चार वर्गों में बांटा जा सकता है।

1. आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त,
2. गांधीवादी विचार व दर्शन पर आधारित सिद्धान्त,

3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त,
4. विविध सिद्धान्त।

नीति निदेशक सिद्धान्तों को आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धान्त समाज में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं जो कि संविधान की प्रस्तावना में घोषित उद्देश्यों में से एक है तथा भारत के कल्याणकारी राज्य के रूप में उदय से सम्बन्धित है।

लोकतान्त्रिक संविधान होने के नाते भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में कुछ आधारभूत अन्तर हैं। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर पाबन्दी लगाते हैं इसलिए नकारात्मक प्रकृति के हैं जबकि नीति निदेशक सिद्धान्त सकारात्मक प्रकृति के हैं। नीति निदेशक सिद्धान्त राज्य को एक विशेष रूप में कार्य करने में मार्गदर्शन करते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं परन्तु नीति निदेशक सिद्धान्त न्याय संगत नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान की उदारवादी व्यक्तिवादी विशेषता को दर्शाते हैं जबकि नीति निदेशक सिद्धान्त संविधान की समाजवादी विशेषता को दर्शाते हैं। इन अन्तरों के बावजूद हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक सिद्धान्त दोनों ही हमारे संविधान की अनिवार्य विशेषताएं हैं। यह सुपरिचित तथ्य है कि मौलिक अधिकारों द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए सामाजिक आर्थिक समानता तथा कल्याणकारी राज्य अनिवार्य है।

पाठांत प्रश्न

1. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। क्या वे न्याय संगत हैं?
2. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्गीकरण कीजिए।
3. सामाजिक आर्थिक समानता के लक्ष्य वाले किन्हीं चार नीति निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
4. गांधीवादी विचारधारा और सिद्धान्तों पर आधारित किन्हीं चार नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
5. मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के बीच अन्तर लिखिए।
6. "भारत में एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को काफी प्राथमिकता दी"। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त तर्क दीजिए।
7. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? वर्णन कीजिए।
8. "भारत जैसे गरीब देश में सामाजिक आर्थिक न्याय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुकाबले वरीयता या प्राथमिकता मिलनी चाहिए" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की उपयुक्त तर्कों द्वारा पुष्टि कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

20.1

(i) कल्याणकारी

(ii) न्याय संगत नहीं

(iii) महात्मा गांधी

(iv) न्यायपूर्ण

(v) जमींदारी

20.2

1. (iv) आयरलैण्ड
2. (ii) महात्मा गांधी
3. (i) कल्याणकारी राज्य
4. (iii) राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त
5. (i) अनुच्छेद 40

20.3

(i) सत्य

(ii) असत्य

(iii) सत्य

(iv) असत्य

(v) सत्य

20.4

(i) त्रिस्तरीय

(ii) 2009

(iii) 6 से 14

(iv) 2002